मध्य प्रदेश शासन,
वित्त विभाग,
मंत्रालय-वल्लभ भवन

क्रमांक/ 259- आर-20--आर- ब-1/2009 भोपाल,दिनांक 30-3-2009

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वन विभाग,
मंत्रालय,भोपाल।

विषय:- वन विभाग हेतु दिनांक 1-4-2009 से आहरण की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था वन विभाग आहरण सुविधा (**Forest Department Drawal Facility**) लागू किये जाने बाबत्।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता खण्ड-1 भाग दो के अध्याय-5 के सहायक नियम- 461 के अनुसार वन विभाग के अधिकारी धनादेशों के माध्यम से धनराशि निकालने के लिये अधिकृत हैं। अध्याय-6, सहायक नियम 506 के अनुसार वार्षिक बजट की विनियोग सीमा के भीतर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा चैक के माध्यम से कोषालय से आहरण किये जाने की व्यवस्था है।

2- वर्तमान में कोषालयों का कम्प्यूटराईजेशन सम्पन्न हो चुका है। अत: दिनांक 1-4-2009 से वन विभाग आहरण सुविधा (**FDDF**) की नवीन व्यवस्था लागू किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाहियाँ की जानी होंगी :-

(I) वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 के प्रारंभ में वन विभाग के बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट आवंटन उपलब्ध कराया जावेगा जिसे बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को बजट आवंटित किया जावेगा।

(II) बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार आवंटित बजट आदेश की लिखित तथा साफ्ट प्रति संचालनालय,कोष एवं लेखा को दी जावेगी तथा इसे संचालनालय के सेन्ट्रल सर्वर पर इन्द्राज कराया जावेगा। बजट आवंटन के आदेश की प्रति संबंधित कोषालय को भी प्रेषित की जावेगी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्तानुसार नवीन प्रक्रिया लागू करने हेतु मेसर्स सी0एम0सी0 लिमिटेड द्वारा विकसित की गई यूटीलिटी सी0डी0 में तैयार कर वन विभाग को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

(III)(अ) वन विभाग में आहरण हेतु नई व्यवस्था के अन्तर्गत विकसित साफ्टवेयर का उपयोग वन विभाग के अन्तर्गत आने वाले समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वयं चैक जनरेट करने हेतु किया जा सकेगा।

(ब) कोषालय से इन्टरफेस की सुविधा हेतु वन विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को उनके कार्यालय में **VPNoBB** नेटवर्क कनेक्टिीविटी भारत संचार निगम लिमिटेड से दी जा सकेगी, जिससे आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा चैक मुद्रित किया जा सकेगा।

(स) ऑन लाईन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आहरण एवं संवितरण अधिकारी को भारत संचार निगम लिमिटेड से **VPNoBB** की सुविधा प्राप्त करते हुये निम्नानुसार उपकरणों /कनेक्शन की व्यवस्था की जानी होंगी :-

1. **A PC with 512 MB RAM and 40 GB harddisk having Win 2000 professional/XP**
2. **Printer (80 Col./300 cps/24 pin., 30 KB or more buffer)**

(IV)- वन विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कोषालय स्थित कम्प्यूटर सर्वर में बजट लेखाशीर्षो अनुसार प्रविष्टि कराई जाकर चैक मुद्रण हेतु निम्नलिखित तीन विकल्प होंगे: -

(अ) कोषालय पर आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत किसी सहायक वन संरक्षक या अनुविभागीय अधिकारी या वरिष्ठ लेखापाल या लेखापाल द्वारा किया जा सकेगा,

(ब) कोषालय के अधिकृत कर्मचारी द्वारा,

(स) कोषालय कम्प्यूटर से इंटरफेस की सुविधा उपलब्ध होने पर वन विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा;

उक्त तीनों विकल्पों में किसी एक का चयन वन विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

(V)- स्वीकृत बजट लेखाशीर्षो के अनुसार प्रस्तावित व्यय को वन विभाग के डी0डी0ओ0 द्वारा कम्प्यूटर सर्वर में फीड किये जाने पर चैक का मुद्रण स्वत: कम्प्यूटर जनित होगा।

(VI)- वन विभाग द्वारा महालेखाकार को प्रेषित लेखा के साथ उस माह का वन विभाग आहरण सुविधा (**FDDF**) साफ्टवेयर से जनरेट किया हुआ शीर्षवार आवंटन एवं व्यय का पत्रक संलग्न किया जाना होगा।

कृपया वन विभाग के आहरण की उपरोक्त नई व्यवस्था वन विभाग आहरण सुविधा (**FDDF**) दिनांक 1-4-2009 से लागू किये जाने के लिये संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(जी0पी0सिंघल)
प्रमुख सचिव,
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

पृ०क्रमांक/ 260-आर-20-आर-बजट-1/2009 भोपाल,दिनांक 30-3-2009

प्रतिलिपि:-

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म०प्र०भोपाल।

2- आयुक्त,कोष एवं लेखा,म०प्र०भोपाल।

3- समस्त संभागायुक्त, म०प्र०।

4- समस्त कलेक्टर्स, म०प्र०।

5- प्रधान महालेखाकार ग्वालियर।

6- महालेखाकार ग्वालियर/भोपाल।

7- संचालक(बजट),म०प्र०शासन,वित्त विभाग,मंत्रालय,भोपाल।

8- संचालनालय, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, भोपाल।

9- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म०प्र०।

10- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष लेखा एवं पेंशन, म०प्र०।

11- समस्त कोषालय अधिकारी, म०प्र०।

12- महाप्रबंधक (स्थानीय मुख्य कार्यालय) स्टेट बैंक आफ इंडिया/इंदौर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अदिति कुमार त्रिपाठी)

अवर सचिव,

म०प्र०शासन,वित्त विभाग